पत्र संख्या-चेकपोस्ट / 528 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(चेकपोस्ट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: जुलाई 27 2009

समस्त
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश।

दिनांक 30/31-07-09 की रात्रि से चेकपोस्टों के समाप्त होने की संभावना है। चेकपोस्टें समाप्त होने के बाद बहती जारी होना बंद हो जाएगा परन्तु ट्रक के साथ एक नया पारगमन घोषणा पत्र लेकर चलना होगा। यह पारगमन घोषणा पत्र विभागीय वेब साइट comtax.up.nic.in पर उपलब्ध होगा जिसे प्रदेश के अंदर प्रवेश करने के पूर्व ट्रान्सपोर्टर को सारे कालम भरकर उसकी डाउनलोडिंग करके उसे ट्रक के साथ लेकर चलना होगा।उसमे दिये गये कालम मे रुट की भी घोषणा करनी होगी। यदि 30/31-07-09 की रात्रि से चेकपोस्टें समाप्त हो जाती हैं तो बहती तो जारी होना बंद हो जाएगी परन्तु समाप्त हुयी चेकपोस्टों पर उक्त तिथि तक जारी हुयी बहतियों को दिनांक 05-08-09 तक खारिज कराया जा सकेगा। इस आशय की जानकारी अपने क्षेत्र के सभी ट्रान्सपोर्टर / ट्रक चालकों / वाहन स्वामियों को उपलब्ध करा दिया जाए। इसी के क्रम मे अपने क्षेत्र मे स्थित चेकपोस्टों से पास होने वाले सभी वाहन चालकों को पैम्फलेट भी छपवाकर वितरित किया जाए।यह सारी कार्यवाही दिनांक 27-07-09 से आरम्भ करके 29-07-09 के बीच पूरी कर जाय। इस कार्य को अपने व्यक्तिगत देखरेख मे कराया जाए।

छपवाये जाने वाले पैम्फलेट का प्रारुप साथ में संलग्न है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

(अनिल संत)
कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल संत)
कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश
चेकपोस्टों की समाप्ति पर बहती के माल की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश की चेकपोस्टें 30 /31 जुलाई , 2009 की मध्य रात्रि से समाप्त होनी संभावित हैं । नई व्यवस्था मे चेकपोस्टें समाप्ति के बाद विभाग द्वारा कोई बहती जारी अथवा खारिज नही की जाएगी बल्कि बहती / माल सम्बन्धी कागज साथ रखकर चलना होगा उसके लिये निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी :-

बहती वाले माल के साथ माल से संबंधित प्रपत्रों यथा बिल / बिल्टी आदि के अतिरिक्त पारगमन घोषणा पत्र के रुप में एक फार्म लेकर चलना आवश्यक होगा । यह फार्म विभागीय वेब साइट comtax.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा , जिसे प्रदेश के अंदर प्रवेश के पूर्व वेब साइट पर ही समस्त प्रविष्टियॉ भरकर डाउनलोड करना होगा । इस फार्म मे अन्य के अतिरिक्त परिवहन के रुट की भी घोषणा करनी होगी जिसमे प्रदेश मे प्रवेश एवं निकासी के स्थान के साथ-साथ कम से कम दो महत्वपूर्ण स्थानों की घोषणा करनी होगी । विभागीय प्रवर्तन इकाइयों द्वारा रास्ते में इस फार्म को चेक किया जा सकता है ।यदि दिनांक 30/31 जुलाई 2009 से चेकपोस्टें समाप्त हो जाती हैं तो इस तिथि तक जारी की गयी बहतियों को दिनांक 05-08-09तक संबंधित निकासी चेकपोस्टों पर खारिज कराया जा सकता है ।

अत्यन्त आवश्यक / महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्र संख्या-चे0पो0-चेकपोस्ट समाप्ति-17 बिन्दु / 09-10 / 527 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(चेकपोस्ट-अनुभाग) लखनऊ :: दिनॉक :: 24 जुलाई, 2009

महोदय,

कृपया मुख्यालय कें गोपनीय पत्र संख्या-चे0पो0-व0स0-1-जॉच चौकी / 2009-2010 / 337 / वाणिज्य कर, दिनांक 24-06-09 व अनुस्मारक पत्र दिनांक 06-07-09 व पत्र संख्या 485 दिनांक 20-07-09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा चेकपोस्टे समाप्त होनें के दृष्टिगत 17 बिन्दुओं की चेक लिस्ट संलग्न करते हुए इस दिशा में की जाने विषयक कार्यवाही को पूर्ण कराते हुए प्रत्येक बिन्दुओं पर स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

मुख्यालय द्वारा प्रेषित पत्र में स्पष्ट रूप से अपेक्षा की गयी थी कि जांच चौकियों को समाप्त किये जाने के पूर्व जो भी कार्यवाही यथा निस्तारित पत्रावलियों का कनसाइनमेन्ट / बीडिंग प्रपत्रों / रजिस्टरों का कनसाइनमेन्ट / बीडिंग, कर्मचारियों का समायोजन आदि बिन्दुओं पर कार्यवाही कराकर तथा चेकपोस्टें समाप्त होने के बाद चेकपोस्टों पर अवशेष विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु जिस अधिकारी को नामांकित किया जाना है, उस अधिकारी को पदनाम से नामांकित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये। मुख्यालय पर प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आये है कि कुछ जोनों से प्राप्त सूचनाओं में चेकलिस्ट के अंकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करायी जा रही है / निस्तारण किया जा रहा है आदि का उल्लेख किया गया है जिससे सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो पाई तथा इससे ऐसा भी आभास होता है कि सारी कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है। अत: अपेक्षित है कि बिन्दुवार कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए स्पष्ट आख्या 30-07-09 तक प्रेषित करने का कष्ट करें तथा जिन बिन्दुओं पर मुख्यालय स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, उन बिन्दुओं पर सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

कुछ जोनों से अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रेषित की गयी सूचनायें ही प्रेषित कर दी गयी हैं जिनमें यह अंकित है कि इस बिन्दु की कार्यवाही उनके स्तर से अपेक्षित नहीं है। इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में आपके स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। कुछ जोन से चेकपोस्ट समाप्ति के बाद पत्रावलियों पर की जाने वाली कार्यवाही के लिए नामित किये जाने वाले अधिकारी के प्रस्ताव में चेकपोस्ट के ही अधिकारी का नाम लिख दिया गया है जबकि चेकपोस्ट समाप्त होने पर उस अधिकारी का अन्यत्र समायोजन हो जायेगा। अत: ऐसे अधिकारी को पदनाम से नामित कराये जाने का प्रस्ताव भेजा जाये जो स्थायी हो जिससे कार्य सम्पन्न करने में सुविधा हो। कृपया इस तथ्य का ध्यान रखें कि वांछित सूचनायें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी विलम्ब के उपलब्ध करायी जानी है।

भवदीय
ह0
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।